

कायालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:—1223/ FP/UK/ROAD/16265/2015 देहरादून: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में देघाट तल्ली नारायण मन्दिर मालभीड़ा धारकोट सेरा मुनानी मालीखेत नागचूलाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.2731 हे० के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/16265/2015)

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 13-02-2020 महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 13-02-2020 के सम्बन्ध में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, के क्रम में बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है।

S.No	EDS	REPLY
1	In reply to point NO 01 & 03 no correction has been made. State Govt may make the necessary corrections in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रोजेक्ट के अनुसार permanent employment & Temporary employment को पार्ट 1 के पैरा E में संसोधित कर आरनलाईन किया गया है व बिन्दु संख्या 3 में सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित वन भूमि का औचित्य प्रमाण पत्र मोटर मार्ग के समरेखण में पूर्णतः उपयुक्त चयनित भूमि के अनुसार दिया गया है, जिसे पुनः पार्ट 1 के additional information में आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
2	In reply to point No 02 revised cost benefit analysis in new format uploaded taking NPV amount Rs 44.60 lakh, however in NPV calculation sheet amount of NPV is Rs. 36,64,425/- State Govt may clarify and remove this discrepancy.	संसोधित लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है।
3	राज्य सरकार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित SIR इस कार्यालय में प्रेषित करें साथ ही उसे Online web portal पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का निरीक्षण बाबत उपलब्ध प्रारूप में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का ही नाम अंकित किया जाना चाहिए था। इसमें वन क्षेत्र अधिकारी के नाम का उल्लेख किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण आख्या पार्ट 2 के Additional Information में अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०जे०के० शर्मा) 22/10/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी